

| | | |
|---------------|-----------------------------------|---|
| तारीख हुयम | हुयम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व अहकाम हुयम की में जारी |
|---------------|-----------------------------------|---|

23/5/22

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान
पीठस्थान अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य
राजकार्य में तटस्थ रहते हैं। पत्रावली दि. 12/9/22
को पेश है।

12/9/22

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है।
श्रीमान अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य
राजकार्य में तटस्थ रहते हैं। पत्रावली दि. 23/12/22 को पेश
है।

23.12.22

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान
पीठस्थान अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य
राजकार्य में तटस्थ रहते हैं। पत्रावली दि. 21.4.23
को पेश है।

21.4.23

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान
पीठस्थान अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य
राजकार्य में तटस्थ रहते हैं। पत्रावली दि. 11.8.23
को पेश है।

11.8.23

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है।
श्रीमान अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य
राजकार्य में तटस्थ रहते हैं। पत्रावली दि. 28.8.23 को पेश
है।

28.8.23

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है।
श्रीमान अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य
राजकार्य में तटस्थ रहते हैं। पत्रावली दि. 28.8.23 को पेश
है।



नम्बर व
अहकाम जो
हुकम की
में जारी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

में प्रार्थना पत्र में बर्तित तथ्यों को
दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना
पत्र में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा
दिनांक 2-5-2019 को तार्किकता वाद
पुष्ट किया जावे।

इसने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, उस्तुत
रिकार्ड दस्तावेज का अवलोकन किया।
बदल में दिमें गए तर्कों पर प्रतिक्रिया
प्रस्तुत स्वीकार किया जाता है ग्राम
डेलपुरा तहसील नैनवा की भूमि खसरा
शे. 704/498 व 678/289 भूमि पर
किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें, भूमि
को नष्ट-भ्रष्ट नहीं करें, कृषि भूमि को
अकृषि भूमि में परिवर्तित नहीं करें, इस
प्राशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से
अग्रणीगण को तार्किकता मूलवाद पाबंद
किया जाता है नियम खुले न्यायालय
में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील
मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा (बूंदी)